

under Section 451-IPC was registered at P.S. Civil Lines vide F.I.R. No 322 dated 10th May 1977 in this connection.

A complaint was also lodged by the Chairman of the governing body of the College that he and some other members of the governing body had been wrongfully confined in the College premises on 10th May 1977, when they had gone there to attend a meeting of the governing body of the College. A case under Section 342-IPC was registered at P.S. Civil Lines in connection with this matter.

Both the cases mentioned above are under investigation.

**कुछ राजनीतिक दलों द्वारा दिल्ली
विद्युत प्रदाय संस्थान के
वाहनों का प्रयोग**

446. श्री शिव नारायण सरसूनिया :
क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के वाहनों को किसी राजनीतिक दल के उपयोग हेतु दिया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो किस अधिकारी की अनुमति से इन वाहनों को दिया गया था तथा कितने वाहन कब-कब दिये गये थे ; और

(ग) इन वाहनों को भेजने के बदले में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कितनी राशि प्राप्त हुई थी और यदि राशि प्राप्त नहीं हुई तो इसके क्या कारण हैं ।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :
(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). तथापि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने बताया है कि संस्थान के एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन—दिल्ली राज्य विजली बसं यूनियन को उसकी प्रारंभना पर कुछ अवसरों पर कुछ वाहन

इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी । इसके लिये संस्थान ने आवश्यक विल बनाये थे ।

**दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के
अंजीनियरों के वेतनमानों का
पुनरीकित**

447. श्री शिव नारायण सरसूनिया :
वया ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कमंचारियों के वेतनमान वर्ष 1971 से पुनरीकित करने के बारे में निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या उनके वेतनमान पुनरीकित किये जाने के बावजूद उन्हें उनकी बकाया राशि नहीं दी गई है ; और

(ग) बकाया राशि देने के संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा यह राशि कब तक दिये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्रबंधकों ने 1973 में (i) 1-4-1971 से इंजीनियरों के और (ii) 1-4-1972 से तकनीकी सुपरवाइजरों के और कमंकारों (वर्कमैन) समेत अन्य कमंचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने के निर्णय लिये थे ।

(ख) इंजीनियरों को सितम्बर, 1973 से और अन्य कमंचारियों को अक्टूबर, 1973 से संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन दिया गया है । इंजीनियरों को 1-4-1971 से अगस्त, 1973 तक का और अन्य कमंचारी वर्ग को 1-4-197 से सितम्बर, 1973 तक की अवधि की वेतन आदि की बकाया राशि छोड़ी जानी है ।

(ग) कूकी वेतनमानों के संशोधन से उठ खड़े हुए कुछ मामलों पर कुछ विवाद था अतः यह विवाद दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्रबन्धकों ने एक मध्यस्थ को साप दिया था। मध्यस्थ ने अपना अधिनिर्णय मार्च, 1977 में दे दिया है और यह प्रबन्धकों के विचाराधीन है।

Industrial Licensing Policy

448. SHRI K. A. RAJAN:

SHRI M. KALYANASUNDARAM:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether a new industrial licensing policy has been evolved by Government; and

(b) if so, the salient features and objectives thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJ LAL VERMA): (a) and (b). The basic features of the industrial policy of the new Government relate to the objective of generating maximum possible employment in the industrial sector leading to optimum socio-economic benefits in the circumstances obtaining in our country and the decentralisation of economic power through strengthening the cottage and small scale industries based on the use of appropriate technologies. Operational details of the new industrial policy would be worked out in due course of time.

जेल नियमाबली को उदार बनाने के लिए राज्यों को अनुबेद

449. श्री कृष्ण कुमार गोयल :
वया गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेलों में नजरबन्द व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों के साथ निर्दयता-पूर्वक अमानवीय हुंग से बतर्ख करने की प्रथा स्वतन्त्रता के बाद भी जारी है;

(ख) क्या आपात स्थिति के दौरान बहुत बड़ी संख्या में पकड़े गये विद्युत राजनी-तिज्जों, राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा वृद्धिजीवी व्यक्तियों को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ ढाली गई थीं;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा राज्यों को जेल नियमाबलियों को उदार बनाने हेतु उनमें परिवर्तन करने के अनुदेश दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार का विचार सम्बन्धित अधिकारियों को इस आशय के अनुदेश देने का है कि मध्य तथा जिम्मेदार व्यक्तियों को विचाराधीन बन्दियों के रूप में न्यायालयों, जेलों तथा अन्य स्थानों पर ले जाते समय हथकड़ियाँ न ढाली जायें?

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) :

(क) से (घ) तक. इस सवाल में 8-11-1974 को भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को अनुदेश जारी किये थे कि पुलिस द्वारा सामान्यतः हथकड़ियों का प्रयोग कंवल वहां किया जाये जहां केंद्री हिस्क, उत्पाती और विघ्नकारी हो अथवा जिसके बचकर भाग निकलने अथवा आत्म हत्या करने की सम्भावना हो अथवा जिस पर अमानवीय गम्भीर अपराध का अभियोग लगाया गया हो। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को यहांसे सलाह दी गई है कि कैदियों को अन्धाधुन्ध हथकड़ी लगाना अपराधियों के साथ व्यवहार को आधुनिक धारणा के प्रतिकूल है और सत्याप्रहियों, सार्वजनिक जीवन में अच्छी स्थिति रखने वाले व्यक्तियों और पेशेवरों जैसे पत्रकारों, विद्युतेतामों, डाक्टरों, लेखकों, शिक्षाविदों आदि जैसे बदियों को सामान्यतः हथकड़ी लगाने का कोई अवसर नहीं होना चाहिये। यदि कोई विशिष्ट शिकायत राज्य सरकार के घ्यान में लाई जाती है तो उस पर राज्य सरकार के साथ पत्र व्यवहार किया जायेगा।